न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अल्लारखी बनाम केसूराम आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक सन

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
05.11.2019	पत्रावली प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 केशुराम उर्फ केशवराम दिनांक 22.10.2018 को फौत हो चुका है उसके वारिस विद्या पत्नी केशवराम व महेश हैं। जिसके वारिसान को बतौर रेस्पोडेण्ट पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया एक अनपढ व ग्रामीण औरतजात है जो मजदूरी करने के लिए बाहर ही रहती है। रेस्पोडेण्ट की मृत्यु के संबंध में प्रार्थीया को पिछली तारीख पेशी पर जब नोहर आई तो रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने बताया तब भादरा पता करने गई। चूंकि भादरा काफी बड़ा शहर है तथा प्रार्थीया की वहां जान पहचान नहीं है। प्रार्थीया एक अनपढ महिला है। रेस्पोडेण्ट भादरा में रहते है काफी पड़ताल करने के बाद शमशान घाट में केशुराम के मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज होने का पता चला कि केशुराम दिनांक 22.10.2018 को फौत हो गया उसके दो ही वारिस हैं। अतः विलम्ब को क्षमा करते हुए केशुराम की जगह उनके वारिसों को पक्षकार बनाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को रेस्पो0 सं0 1 के फौत होने की जानकारी उसकी मृत्यु दिनांक से ही रही है। अपीलाण्ट ने भादरा में कोई जान पहचान नहीं होने का कथन भी कतई मिथ्या किया है जबकि अपील की मद सं0 3 में उसके द्वारा यह कथन किये कि उसके ससुराल वालों ने उसे भरण पोषण हेतु भूमि काश्त हेतु दे रखी थी तो अपीलाण्ट ने अपनी अपील में किये गये कथन से भिन्न कथन कर मात्र आवेदन पत्र भीतर मियाद प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कतई मिथ्या कथन किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा किये जाने योग्य नही है। अपील अबेट हो चुकी है प्रा0 खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 केशुराम	

11 माह बाद प्रस्तुत किया है। जबकि मृतक की मृत्यु दिनांक से 90 दिन में विधिक प्रतिनिधि के अभीलेख पर लाये जाने सम्बंधी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। यह परिसीमा 90 दिन की मृतक के मृत्यु दिनांक से मानी जाती है उसके सम्बन्ध में ज्ञान होने की दिनांक से नही मानी जाती है। इस अवधि में अगर कार्यवाही किसी विशेष कारण से नहीं की गई तो उसके बाद 60 दिन की अवधि और दी गई है साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ भी आवेदक प्राप्त कर सकता है। अपीलाण्ट ने विलम्ब के लिए क्षमा याचना की है लेकिन विलम्ब के लिए कोई समुचित कारण कथित नहीं किये हैं। अपीलाण्ट का यह कथन कि काफी पड़ताल करने के बाद में केशुराम के मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज होने का पता चला तब वहां से रिपोर्ट लेने पर पता चला। डिले कन्डोन करने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:33:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: